


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.05.2015 द्वारा श्री लक्ष्मीकांत व0अ0 राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, बिचून, जयपुर वरिष्ठता क्रमांक 1012 अवधि 1998-99 जन्मतिथि 17.10.1971 को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान पद की चयन वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के प्रति विभागीय पदौन्नति समिति से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर पदौन्नति प्रदान करते हुए राजमार्वि, कहरानी, (अलवर) के पद पर पदस्थापित किया गया था। कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात संतानोत्पत्ति के फलस्वरूप 02 से अधिक संतान होने के कारण इन्हें उक्त पदौन्नति पर संबंधित संस्था प्रधान द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया।


चूंकि श्री लक्ष्मीकांत व0अ0 राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, बिचून, जयपुर का प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर पूर्व में चयन वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयनोपरान्त प्रदत्त पदौन्नति दिनांक 01.06.2002 के पश्चात संतानोत्पत्ति के फलस्वरूप 02 से अधिक संतान होने के कारण कार्यग्रहण नहीं कर सके थे एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1) डीआपी/ए गा/पार्ट III/दिनांक 19.09.2017 के द्वारा 02 से अधिक संतान होने पर 05 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष पदौन्नति से वंचित किए जाने संबंधि प्रावधान दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी कर दिए गए हैं, अतः श्री लक्ष्मीकांत व0अ0 राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, बिचून, जयपुर को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान पद की चयन कर 2017-18 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर पदौन्नति प्रदान करते हुए राजमार्वि साली, दूर्दू जयपुर में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें पदौन्नति पर दिनांक 31/12/2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा।

  
(निश्चल बिलेल)  
IAS

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राजनीति विज्ञान/डीपीसी-पदस्थापन/2017-18 दिनांक:- 19/12/2018  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक /मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
3. अनुभाग अधिकारी, कम्प्टर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
4. संस्थापन सी ओएसी।
5. संबंधित संस्था प्रधान राजमार्वि/राजमार्वि.....
6. संबंधित कार्मिक.....
7. रक्षित पत्रावली।


  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.05.2015 द्वारा श्री तख्तसिंह व0अ0 राजकीय बालिया बालिका उच्च माध्यमिक विधालय, पाली वरिष्ठता क्रमांक 1866 अवधि 1998-99 जन्मतिथि 01.09.1971 को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान पद की चयन वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के प्रति विभागीय पदोन्नति समिति से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए राबाउमावि रानी स्टेशन, रानी (पाली) के पद पर पदस्थापित किया गया था। कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात संतानोत्पत्ति के फलस्वरूप 02 से अधिक संतान होने के कारण इन्हें उक्त पदोन्नति पर संबंधित संस्था प्रधान द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया।

चूंकि श्री तख्तसिंह व0अ0 राजकीय बालिया बालिका उच्च माध्यमिक विधालय, पाली प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर पूर्व में चयन वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयनोपरान्त प्रदत्त पदोन्नति दिनांक 01.06.2002 के पश्चात संतानोत्पत्ति के फलस्वरूप 02 से अधिक संतान होने के कारण कार्यग्रहण नहीं कर सके थे एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1) डीआपी/ए आ/पार्ट आ/दिनांक 19.09.2017 के द्वारा 02 से अधिक संतान होने पर 05 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष पदोन्नति से वंचित किए जाने संबंधित प्रावधान दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी कर दिए गए हैं, अतः श्री तख्तसिंह व0अ0 रा० बालिया बाउमावि, पाली को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान पद की चयन कर 2017-18 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए राउमावि, सरदारसमन्द(पाली) में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें पदोन्नति पर दिनांक 31 / 12 / 2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा।



(निथमल डिलेल)  
IAS

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राजनीति विज्ञान/डीपीसी-पदस्थापन/2017-18 दिनांक:- 19 / 12 / 2018  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
3. अनुभाग अधिकारी, कम्प्टर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
4. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि.....
5. संबंधित कार्मिक.....
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर